

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3 / विविध-01-63 / 2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सकों के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० मो० अस्हारुल्लाह बरनी, चिकित्सा पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, बांका	20.01.98
2	डा० प्रवीण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेजरगंज, सीतामढ़ी	03.10.99
3	डा० शिवम शम्भु चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मोतिहारी, पू० चम्पारण	09.03.94
4	डा० शिखा लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, शमशेरनगर, दाउदनगर, औरंगाबाद	14.04.98
5	डा० अनुष्का कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, फुल्लीडुमर, बांका	16.01.98
6	डा० समन शादमा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करपी, अरवल	10.01.2000
7	डा० उदय कुमार यादव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज	03.09.95
8	डा० कमलेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, भागलपुर	05.01.80
9	डा० कन्हैया प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, धनुपुरा, सरैया, मुजफ्फरपुर	14.03.95
10	डा० रूपक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बछवारा, बेगूसराय	23.02.84
11	डा० अंजली सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, खुसरूपुर, पटना	12.02.85
12	डा० सल्लनत अफरोज, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, पण्डौल, मधुबनी	01.01.85
13	डा० आयुषी कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, पलांकी, कोंच, गयाजी	02.01.97
14	डा० मेराजुल हक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंझौलिया, प० चम्पारण, बेतिया	10.12.89
15	डा० प्रीतम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चांदन, बांका	02.02.80

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठयक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्रि पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह० / -

( विनाद कुमार पाठक )  
सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक :

24/13

/स्वा0, पटना, दिनांक: 12/3/26

**प्रतिलिपि:** महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि:** सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव